

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/455/2013-यू टी पी

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 27/06/2013

सेवा में

श्रीमती कविता,  
ए-115/189, एयर इंडिया कॉलोनी,  
वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 04.06.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 21.6.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के तहत यथा परिभाषित 'सूचना' की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। तथापि, चूंकि आपके आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपका आवेदन दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में, गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

*Issued withenel*  
*roy*  
*4/7*

*RC* *Ry. 25/7*  
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
अवर सचिव (डी पी-11)  
दूरभाष : 23092856

प्रति प्रेषित :

पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-  
आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।